

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

बिहार- पश्चिम बंगाल एवं बिहार-उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस परिचालन परमिट हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना ।


पत्रांक- 4/S.T.A.-P3-23/2012 परि०- 1864 दिनांक- 13/4/17

निदेशानुसार सर्वसाधारण को इतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक- 16.03.2017, 20.03.2017 एवं 21.03.2017 को 2.00 बजे अपराहन में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक आहूत की गयी थी । इस बैठक में आवेदनों की संख्या अत्याधिक होने एवं सगयाभाव होने के कारण मद संख्या-(क-7) से (क-11) एवं मद संख्या-(क-20) से (क-27) तक के आवेदनों सहित अन्य आपत्तियों पर विचार नहीं किया जा सका था ।

उपर्युक्त लंबित आवेदनों की सुनवाई हेतु दिनांक-27.04.2017 को 3.00 बजे अपराहन में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद- सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत किया जायेगा ।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक-26.12.2016 तक समर्पित अभिलेखों के आधार पर तैयार मेधा सूची पर ही परमिट स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा ।

बैठक की कार्यावली पूर्ववत् ही रहेगी जो दिनांक 09.12.2016 को विभागीय वेवसाईट <http://transport.bih.nic.in> पर पूर्व में अपलोड की जा चुकी है ।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।